जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर दिनॉक 30.12.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 475/24 धारा 305ए बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी की गयी 02 बैट्री सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.12.2024 को वादी श्री संतोष कुमार अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद नूरपुर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नगर पालिका के परिसर में खडे ट्रैक्टर से दो बैटरी चोरी कर ली है। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 475/24 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त आसिफ पुत्र कलवा निवासी मौहल्ला हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 30.12.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त आसिफ पुत्र कलवा निवासी मौहल्ला हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी 02 बैटरी बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण–

1. एक बैटरी एक्साईड कम्पनी।
2. एक बैटरी एमेरॉन कम्पनी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.आसिफ पुत्र कलवा निवासी मौहल्ला हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2–आरक्षी 1956 आर्यन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3–आरक्षी 1886 अमित पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर **दिनॉक 30.12.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 487/24 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को आलाकत्ल चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.12.2024 को थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धोलागढ़ में विनेश पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम धोलागढ़ थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का अपने सगे छोटे भाई मोहित के साथ गैस सिलेंडर मांगने को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, जिस दौरान विनेश ने मोहित के ऊपर चाकू से हमला कर मोहित उपरोक्त की हत्या कर दी।

सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण व स्थानीय पुलिस द्वारा फिल्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुॅचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 487/24 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 30.12.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त विनेश पुत्र रामकुमार सिंह निवासी ग्राम धौलागढ थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त विनेश ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 29.12.2024 की रात्रि में मेरे तथा मेरे छोटे भाई मोहित के बीच गैस सिलेन्डर को लेकर विवाद हो गया था। जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैने रसोई में रखे चाकू से अपने भाई मोहित पर चाकू से वार किया जिससे वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.विनेश पुत्र रामकुमार सिंह निवासी ग्राम धौलागढ थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2–निरीक्षक अपराध नरेशपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3–उ0नि0 रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4–आरक्षी 2573 हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
5–आरक्षी 1893 अंकित थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात दिनांक- 30.12.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को 20 ली0 अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त राजवीर पुत्र घसीटा निवासी ग्राम समसपुर नसीब थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 270/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राजवीर पुत्र घसीटा निवासी ग्राम समसपुर नसीब थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.हे0 का0 96 अर्जुन सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2.का0 269 लवलेश थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर